02.05.2016

General Instruction for Planning & Bid Submission

संदर्भ :- 1) समाचार पत्र हितवाद रायपुर दिनांक 02.05.2016 एवं हिन्दुस्तान टाईम्स नई दिल्ली दिनांक 03.05.2016 रायपुर का विज्ञापन।

विषय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की प्रस्तावित विभिन्न तीन योजनाओं (1) **झगराहा कोरबा (2) विशेष आवासीय योजना सेरीखेडी नया रायपुर (3) कुलीपोटा जांजगीर योजना के** वास्तुविदीय एवं इंजी. कार्य के लिए ई.ओ.आई के माध्यम से वास्तुविद/ फर्म/कंपनी का चयन करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य कराने हेतु मण्डल की वेबसाइट में दिनांक 05.01.2016 को ई.ओ.आई.-2015 अंतर्गत पंजीबद्ध किये वास्तुविद/फर्म/कम्पनी की सूची जारी की गई हैं। इसमें से वास्तुविदी एवं इंजीनियरिंग कार्य हेतु सूची-ए के निम्न तालिका अनुसार श्रेणी में पंजीबद्ध वास्तुविद/फर्म/कम्पनी से (1) **तकनीकी एवं (2) वित्तीय ऑफर (बिड) आमंत्रित** किये गये हैं।

क्र.	योजना का नाम	भूमि रकबा	योजना की अनुमानित लागत	प्रोसेस फीस रू.	ई.एम.डी. (अमानत राशि रू.)	बिड में भाग लेने वाले वास्तुविद/फर्म मण्डल में पंजीबद्ध श्रेणी (Arch. & Eng.Ser.) 2015 में (05.01.2016 को जारी सूची-ए में से)
1.	प्रस्तावित अटल विहार योजना झगराहा कोरबा।	18.93 एकड़	50.00 करोड़	10,000.00 (दस हजार)	1.00 लाख	ए श्रेणी
2.	प्रस्तावित विशेष आवासीय योजना सेरीखेडी, नया रायपुर (लेआउट प्लानिंग मात्र)	12.00 एकड़	6.00 करोड़	10,000.00 (दस हजार)	0.50 लाख (पचास हजार)	सी एवं सी के उपर श्रेणी
3.	प्रस्तावित अटल विहार योजना कुलीपोटा जांजगीर ।	3.50 एकड़	10.00 करोड़	10,000.00 (दस हजार)	0.50 लाख (पचास हजार)	सी एवं सी के उपर श्रेणी

- तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 12.05.2016 समय दोपहर 1.00 बजे से स्थान मुख्यालय, शंकर नगर, रायपुर। इस बिड ओपनिंग के समय बिड में भाग लिए वास्तुविद/फर्म स्वयं या आपके प्रतिनिधि आमंत्रित है।
- वित्तीय ऑफर बाद में खोला जावेगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी। वित्तीय ऑफर ई.ओ.आई. 2015 (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016) ई.ओ.आई. 2015 के बिन्दु कमांक-7.5 के आधार पर तैयार करें।
- समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति :- संलग्न
- सर्वे प्लान सॉफ्ट कॉपी :- संलग्न

  2. प्रस्तावित अटल विहार योजना झगराहा कोरबा।

  2. प्रस्तावित विशेष आवासीय योजना सेरीखेडी, नया रायपुर (ले आउट प्लानिंग मात्र)।

  3. प्रस्तावित अटल विहार योजना कुलीपोटा जांजगीर।

- झगराहा कोरबा योजना के लिये निम्न तालिका के अनुसार भवनो कि योजना तैयार करें।

Sn.	Type of house/Flat		Plot Area (tentative)	Built up Area Range Appr.	Carpet Area (Max.)	Remark
	Independent		In sqm	In sqm	In sqm	
1.	HIG	Semi Detached	184 m^2	100-125		3 BHK (G+1)
2.	MIG Sr	Row type	135 m^2	90-110		2 BHK (G+1)
4.	MIG Jr	Row type	91 m^2	75-100		2 BHK (G+1)
5.	LIG	Row type	72 m^2	50-55		1 BHK (G)
	Flat					
7.	MIG Jr. (S+6)			60-70		2 BHK
8.	LIG A (S+6)				40.0 m^2	1 BHK
9.	EWS (G+2)				30.0 m^2	1 BHK

- कुलीपोटा जांजगीर योजना के लिये निम्न तालिका के अनुसार भवनो कि योजना तैयार करें।

Sn.	Type of house/Flat		Plot Area (tentative)	Built up Area Range Appr.	Carpet Area (Max.)	Remark
	Independent		In sqm	In sqm	In sqm	
1.	HIG	Semi Detached	184 m^2	100-125		3 BHK (G+1)
2.	MIG	Row type	91 m^2	75-100		2 BHK (G+1)
	Flat					
3.	MIG Jr. (S+6)			60-70		2 BHK
4.	LIG A (S+6)				40.0 m^2	1 BHK
5.	EWS (G+2)				30.0 m^2	1 BHK

- सभी योजना वास्तु विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जावें, T&CP नगर निगम एवं केन्द्र व शासन के अन्य संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर होने चाहिए।
- सभी योजना वास्तु विज्ञान पर आधारित होना चाहिए एवं पर्यावरण अनुकुल ग्रीन कानसेप्ट का समावेश, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का समावेश किया जाना चाहिए।
- सभी योजना तैयार करने के पूर्व भूमि का निरीक्षण अवश्य किया जाये।
- इन योजना के लिए प्रोसेस फीस एवं (EMD) अमानत राशि जो कि उपर तालिका अनुसार का डी.डी. जो कि Commissioner, C.G.H.B. Raipur के नाम पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य हैं। अन्यथा बिड निरस्त मानी जायेगी।
- ऑफर (बिड) विज्ञापित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिड स्वीकार नहीं किये जावेगें। (Postal delay will not be considered)
- योजना क्रमांक 1 एवं 3 केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईड लाईन एवं अफोंडेबल हाउसिंग स्कीम के नियमों पर आधारित होना चाहिए।
- चयनित वास्तुविद/फर्म/कम्पनी को कार्य मण्डल को वर्तमान में उपलब्ध भूमि पर करने हेतु सहमति दी जावेगी एवं इसका अनुबंध अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए ही रहेगा। इन योजनाओं में मण्डल को उपलब्ध भूमि में ही योजना तैयार की जावेगी एवं उसके अनुसार ही वास्तुविद/फर्म/कंपनी को भुगतान किया जावेगा। इस बाबत अन्य नियम, शर्ते ई.ओ.आई 2015 में दिये गये अनुसार होगी।
- ई.ओ.आई. 2015 के करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016 संलग्न है, इसका अवलोकन कर प्रापोजल जमा करें।
- इन योजनाओं के लिए एवार्ड ऑफ वर्क ई.ओ.आई. 2015 के (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016) 7.4 बिन्दु के विधि अनुसार वास्तुविद/फर्म/कंपनी का चयन किया जायेगा।
- फाईनल चयनित वास्तुविद/फर्म/कंपनी को मण्डल की ई.ओ.आई. 2015 (करेजेन्डम-2 दिनांक 30.04.2016) की शर्ते, नियम, स्कोप ऑफ वर्क, मोड़ ऑफ पेयमेंट के अनुसार कार्य किया जाना होगा।
- एक वास्तुविद/फर्म/कंपनी एक या अधिक प्रोजेक्ट योजना पर तकनीकी प्रपोजल जमा कर सकता है। किन्तु प्रोसेस फीस एवं ई.एम.डी. राशि का डी.डी प्रत्येक योजना के लिए पृथक-पृथक उपरोक्त तालिका अनुसार बिड के साथ जमा करना होगा। इनके जमा नही करने पर बिड निरस्त मानी जावेगी।

- ई.एम.डी. राशि को प्रत्येक योजना के लिए फाईनल कंसलटेन्ट का चयन व चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद चयनित कंसलटेन्ट का डी.डी. मण्डल में जमा रहेगा व इसे फाईनल बिल भुगतान के समय समायोजित किया जायेगा व अन्य बिड में भाग लिए कंसलटेन्टों का डी.डी. इनके द्वारा मांग की जाने पर चयनित कंसलटेन्ट के द्वारा अनुबंध करने के बाद वापस किया जायेगा।
- उक्त योजना के स्थल निरीक्षण हेतु कोरबा एवं जांजगीर के लिए कार्यस्थल के संबंध में जानकारी हेतु कार्यपालन अभियंता संभाग कोरबा 9424209096 एवं रायपुर योजना के लिए कार्यपालन अभियंता संभाग 2 रायपुर 9425209838 से सम्पर्क किया जा सकता हैं एवं इन योजनाओं के वास्तुविदीय जानकारी हेतु मण्डल मुख्यालय के वास्तुविद मो. 9424209010 पर संपर्क किया जा सकता है।
- अटल विहार योजना, झगराहा कोरबा एवं कुलीपोटा जांजगीर इस योजना को केन्द्र सरकार की अफोर्डेबल योजना के मापदण्ड एवं प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अनुरूप भी तैयार किया जावे।
- विशेष आवासीय योजना सेरीखेडी नया रायपुर में इस हेतु केवल लेआउट प्लानिंग हेतु आर्किटेक्चरल एवं इंजीनियरिंग कार्य किया जाना है। योजना में एक ही साईज के प्लाट एरिया (322 वर्ग मीटर) के लिए जाना है एवं 15 प्रतिशत एरिया ई.डब्ल्यू.एस हेतु आरक्षित रखा जाना है।
- शासन निर्देशानुसार प्रत्येक योजना में 15 प्रतिशत एरिया ई.डब्ल्यू.एस हेतु प्लानिंग में लिया जाना है।
- अटल विहार योजना झगरहा कोरबा में EWS फ्लैटो की संख्या योजना में प्रस्तावित किये गये सभी भवनों की कुल संख्या का 35 प्रतिशत संख्या होना चाहिये। एवं कुल मकानों कि संख्या 250 नग से कम नही होनी चाहिये।
- सभी योजना के लिये कम्पांउड वॉल का एवं मेंन गेट सेक्योरिटि रूम के साथ प्रावधान रखा जावें।

2/5/16

वास्तुविद
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर